

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 443/2024
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

गुरप्यार सिंह पुत्र श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- बनाम - वादी
1. बलकरण सिंह उर्फ बलकौर सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
 2. मनदीप कौर पत्नी श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
 3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

उपरिस्थिति :-

- प्रतिवादीगण

वादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री गगन मिश्रा, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 7-8-2024

वादी गुरप्यार सिंह ने प्रतिवादीगण बलकरण सिंह उर्फ बलकौर सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि वह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता एवं प्रतिवादीया सं. 2 वादी की माता है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 131/35 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.728 है। कृषि भूमि, इसी चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 54/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.695 है। कृषि भूमि तथा इसी चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 67/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

- (क) वादी गुरप्यार सिंह पुत्र श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-
तहसील संगरिया के चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 54/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.695 है। कृषि भूमि
तहसील संगरिया के चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 67/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है। कृषि भूमि
- (ख) प्रतिवादी सं. 1 बलकरण सिंह उर्फ बलकौर सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-
तहसील संगरिया के चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 131/35 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.728 है। कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि
- (ग) प्रतिवादीया सं. 2 मनदीप कौर पत्नी श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-
तहसील संगरिया के चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 131/35 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.728 है। कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि
यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 व 2 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 131/35, 54/50 व 67/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की प्रतियां पेश की गईं जो प्रदर्श-1 ता 3 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गईं।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 131/35 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 2.728 है। कृषि भूमि, इसी चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 54/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.695 है। कृषि भूमि तथा इसी चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 67/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि तहसील संगरिया के चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 54/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.695 है। कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 67/64 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.253 है। कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार इसी चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 131/35 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 2.728 है। कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 1/2 हिस्सा कृषि भूमि की खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 7.8.2014 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिवक्ता (राजस्व),
संसाधिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 443/2024

गुरप्यार सिंह पुत्र श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

बलकरण सिंह उर्फ बलकौर सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

मनदीप कौर पत्नी श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी मिन जामिन
मुदई श्री गगन मिद्धा वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर
हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 1 पी.टी.पी.
के खाता सं. 54/50 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.
695 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का
नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 67/64
जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.253 है. कृषि भूमि का
वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे
तथा इसी प्रकार इसी चक 1 पी.टी.पी. के खाता सं. 131/35 जमाबन्दी सम्बत्
2071-74 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 2.728 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं.
2 को 1/2 हिस्सा कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का
हिस्सा कम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद
मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत्
निल खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलयाबी तकको अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 7.8.2024 को
जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया